



2026:AHC:173451

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस**

**संख्या - 5182 वर्ष 2026**

श्रीमती पंकी और एक अन्य

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: नितीश कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आज दायर किया गया प्रतिपक्ष हलफनामा अभिलेख में ले लिया गया है।
3. वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 301 वर्ष 2021, धारा 420 , 467 , 468 , 471 , 406 भारतीय दंड संहिता के तहत, थाना सैदनागली, जिला अमरोहा में अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदकों के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पुलिस द्वारा आवेदकों को गिरफ्तार करने के प्रयास के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बावजूद, उनका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि वे विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने से पहले ही आवेदक के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, इसलिए स्थापित कानून के अनुसार वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार्य नहीं है। आवेदक न तो विवेचना में सहयोग कर रहा है और न ही विवेचना अधिकारी के समक्ष पेश हो रहा है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और पूरे अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. यह निर्विवाद तथ्य है कि आवेदकों के अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने से पहले ही वर्तमान प्रकरण में उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। आवेदकों को घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

8. आवेदकों का आचरण उन्हें **प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 955 प्रकरण** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के दायरे में लाता है। उस प्रकरण के तथ्यों में, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था और इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। अभिलेख से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके बाद ही अभियुक्त ने अवर न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे सत्र न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। हालांकि, बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई और जब प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो यह टिप्पणी की गई-

"19. उपरोक्त गुण-दोष संबंधी टिप्पणियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि प्रतिपक्षी संख्या 2 - आरोपी फरार है और यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही 10.01.2019 को ही शुरू कर दी गई थी, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रासंगिक पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 2 - आरोपी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि आरोप की प्रकृति एक व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित है। धोखाधड़ी आदि के विशिष्ट आरोप, जिन पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचार किया था, उन पर उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82-83 के तहत कार्यवाही शुरू होने के तथ्य को भी यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि "जो भी हो"। अग्रिम जमानत देने के संबंध में उपरोक्त प्रासंगिक पहलू उच्च न्यायालय को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था और उच्च न्यायालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, न कि लापरवाही से।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली ) (2012) 8 एससीसी 730 में यह माना है कि "सामान्यतः, जब आरोपी 'फरार' हो और उसे 'अपराधी' घोषित किया गया हो, तो अग्रिम जमानत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम दोहराते हैं कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो और वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो या छिप रहा हो तथा संहिता की धारा 82 के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया हो, तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।"

10. इसके अतिरिक्त, लवेश (पूर्व) प्रकरण में दिए गए फैसले का उल्लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 171 में



किया था और लवेश (पूर्व) के फैसले के प्रस्तर 12 का हवाला देते हुए, उक्त फैसले के प्रस्तर 16 में यह टिप्पणी की गई थी, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"16..... उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि किसी को संहिता की धारा 82 के तहत भगोड़ा/घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

11. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य (2024) 12 एससीसी 382 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि गंभीर प्रकरण में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है। जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होता है। श्रीकांत उपाध्याय (पूर्व) के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 30 को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

"30. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि कई प्रकरण में यह माना गया है कि जमानत एक नियम है, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे देने का प्रश्न प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के सतर्क और विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करते समय, संबंधित न्यायालय को बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि गंभीर प्रकरण में आरोपी को अंतरिम संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने से न्याय में गड़बड़ी हो सकती है और विवेचना में काफी बाधा आ सकती है क्योंकि इससे कभी-कभी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें विचलित करने की संभावना हो सकती है। हमारा यह मानना नहीं है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण पारित नहीं करेगा क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित गिरफ्तारी से बचाने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश अत्यंत उपयुक्त प्रकरण में पारित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है जारी किए जाने के बाद, आवेदक असाधारण शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, इससे न्याय के हित में अत्यंत असाधारण प्रकरण में अग्रिम जमानत देने की न्यायालय की शक्ति कम नहीं होगी। लेकिन फिर, जो व्यक्ति लगातार आदेशों की अवहेलना करते हैं और फरार रहते हैं, वे ऐसी जमानत के हकदार नहीं हैं।“

12. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरण में ही दिया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 69 पी.चिदंबरम (पूर्व) को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"69. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दी गई शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण प्रकरण में ही दिया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक विवेक का प्रयोग उचित रूप से आरोप की प्रकृति और गंभीरता; आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और अन्य कारकों पर विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अग्रिम जमानत देने के लिए यह उपयुक्त प्रकरण है या नहीं। अग्रिम जमानत देना कुछ हद तक अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, इसलिए न्यायालय को अग्रिम जमानत देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत नियम के रूप में नहीं दी जानी चाहिए और इसे तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायालय आश्वस्त हो कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस असाधारण उपाय का सहारा लेने के लिए असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं।"

13. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज , 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1085, दिनांक 29.8.2023 को दिए गए अपने फैसले में घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत देने के आवेदन की स्वीकार्यता के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है, जो इस प्रकार है ( उक्त निर्णय का प्रस्तर 17 ):

"17. प्रतिपक्षी, उसे घोषित अपराधी घोषित करने वाले आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती दिए बिना, अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर सकता था। तथ्यों को देखते हुए, हम स्पष्ट हैं कि प्रतिपक्षी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह एक घोषित अपराधी था। हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि लवेश बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली ), (2012) 8 एससीसी 730 में , इस न्यायालय ने घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया था। इसी क्रम में, लवेश के फैसले का अनुसरण करते हुए, (पूर्व) मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा , (2014) 2 एससीसी 171 का निर्णय है , जिसमें इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होगा। बेशक, असाधारण और दुर्लभ प्रकरण में, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार कर सकते हैं, भले ही आवेदक घोषित अपराधी हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं। हालांकि, वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है। प्रदीप शर्मा (पूर्व) का अनुसरण करते हुए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य , 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 955 में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही की अनदेखी करते हुए अग्रिम जमानत देने में गलती की थी। अभिषेक बनाम महाराष्ट्र राज्य , (2022) 8 एससीसी 282 में , इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला: '68. अपीलकर्ता के खिलाफ उद्घोषणा जारी होने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निहितार्थ के संबंध में, हमारे पास कोई यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं किया जा सकता कि कोई भी व्यक्ति, जिसे "फरार" घोषित किया गया है और जो विवेचना एजेंसी की पहुंच से बाहर है और इस प्रकार सीधे कानून के साथ संघर्ष में है, सामान्यतः किसी भी प्रकार की रियायत या रियायत का पात्र नहीं है। संदर्भ के तौर पर, हम यह देख सकते हैं कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने के संबंध में, इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि जब कोई आरोपी फरार है और उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया है, तो उसे धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता का लाभ देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। [उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2022) 14 एससीसी 529, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 955]

14. अतः, इस बिंदु पर कानून स्पष्ट है कि सामान्य नियम के अनुसार, अग्रिम जमानत ऐसे अभियुक्त को नहीं दी जा सकती जो न्यायालय की कार्यवाही के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो या छिप रहा हो और अपने फरार होने का कोई कानूनी या तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत न कर रहा हो तथा परिणामस्वरूप उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया हो।

15. आवेदकों द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया की जानबूझकर अनदेखी करने से अग्रिम जमानत देने के उनके आवेदन को 'दुर्लभ और असाधारण प्रकरण' के दायरे में स्वीकार्य मानने और इस प्रकार उन्हें अग्रिम जमानत देने के उनके दावे को नकार दिया जाता है।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, अग्रिम जमानत के लिए वर्तमान आवेदन को विचारणीय न मानते हुए, मैं वर्तमान आवेदकों को अग्रिम जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त प्रकरण नहीं मानता/मानती। जानबूझकर दोषी ठहराए गए व्यक्ति, जो अवर न्यायालय या विवेचना में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं, इस न्यायालय से अग्रिम जमानत के रूप में कोई राहत पाने के हकदार नहीं हैं।

17. तदनुसार, अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)



18 अगस्त, 2026

ललित शुक्ल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।